पत्रांक /आयु0 क0 उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2011–12/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून::18 जनवरी, 2012

प्रार्थना पत्र सं0 – 5226/30.08.2011
सर्वश्री पैरागान इन्टरप्राइजेज
21/2 प्लीजेन्ट वैली, देहरादून।
उपस्थिति– सर्वश्री पैरागान इन्टरप्राइजेज 21/2 प्लीजेन्ट वैली, देहरादून की ओर से श्री अनूप गोयल स्वामी फर्म।
निर्णय का दिनांक– जनवरी, 2012,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

1– सर्वश्री पैरागान इन्टरप्राइजेज 21/2 प्लीजेन्ट वैली, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये यह तथ्य रखा गया है कि फर्म द्वारा हार्डवेयर आइटमस की खरीद बिक्री का व्यवसाय किया जाता है। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मॉडुलर किचन के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्टेनलेस स्टील, किचन बास्केट्स एवं उनकी एसेसरीज पर कर की दर के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है।

2– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) देहरादून संभाग देहरादून के पत्र संख्या 2458/ज्वा0कमि0(कार्य0)/वा0क0/धारा–57 अनु0/दे0दून/2011–12/दिनांक 04.11.2011 द्वारा विभागीय मत प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि यह वस्तु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 में वर्गीकृत किसी भी अनुसूची मे अंकित नहीं है, इसलिए इसे अवर्गीकृत मानते हुए इस पर 13.5 प्रतिशत की दर निर्धारित की जानी चाहिए। हार्डवेयर आइटम के अन्तर्गत screws, nutbolts, hooks, handles, kabja आदि आते हैं। जहां तक modular kitchen का सम्बन्ध है।

"Modular kitchen is basically a range of fixtures/cabinet which are put together in a planned and functional manner to make kitchen tasks easier".
Ingredients of modular kitchen-
a-Cabinets
b-Drawers
c-Built in waste baskets
d-Chimney etc.
जिन पर कर की दर 13.5 प्रतिशत होनी चाहिये।

प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु फर्म की ओर से श्री अनूप गोयल स्वामी फर्म उपस्थित हुए। धारा–57 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

मेरे द्वारा दोनो पक्षों के मतों की अवलोकन किया गया। व्यापारी द्वारा मुख्य रूप से हार्डवेयर की खरीद बिक्री का व्यवसाय किया जाता है। जिसके अन्तर्गत screws, nutbolts, hooks, handles, kabja इत्यादि वस्तुएं आती हैं। अब व्यापारी द्वारा modular kitchen में प्रयोग किये जाने वाले स्टेनलेस स्टील के किचन बास्केट्स एवं उनकी एसेसरीज पर कर की दर के

2239
19/01/12

सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है। चूंकि यह वस्तु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 के अन्तर्गत कर की दरों के सम्बन्ध में दी गयी धारा–4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किसी भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। इसलिए इन वस्तुओं को अवर्गीकृत मानते हुए उन पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

इस प्रकार मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–57 अन्तर्गत प्रेषित प्रार्थना पत्र का उत्तर दिया जाता है।

आदेश की एक प्रति व्यापारी को तथा एक प्रति कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाय।

(डा0हेमलता ढौंडियाल)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 7407 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. ~~प्रमुख सचिव वित्त~~ उत्तराखण्ड शासन,
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून / कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट) / (प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 / परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार / रूद्रपुर ।
8. डिप्टी कमि0(क0नि0)–1 वाणिज्य कर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
15. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
16. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।